p>

Title : Need to set up a Bench of Allahabad High Court in Gorakhpur, Uttar Pradesh.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदय, भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ न्यायपालिका है। पीड़ित व्यक्ति जब हर जगह से थक जाता है, तो वह न्यायपालिका की शरण में जाता है, लेकिन न्यायपालिका में पड़े लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए उसे जल्दी न्याय मिलने की संभावना कम हो जाती है। न्याय अगर समय पर न मिले तो न्याय नहीं बल्कि अन्याय है। उ0 प्र0 की आबादी लगभग 18 करोड़ है। 18 करोड़ की आबादी में उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों का निस्तारण उच्च न्यायालय इलाहाबाद में होता है। पूर्वी उ0 प्र0 जिसमें गोरखपुर, बस्ती तथा आजमगढ़ मंडल हैं, की आबादी लगभग 3 करोड़ है। यहां की जनता को अपने न्यायालयीय कार्यों के लिए लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ती है। बहुत दिनों से न्याय की सुगमता तथा इस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक खंडपीठ गोरखपुर में स्थापित करने की मांग हो रही है।

कृपया इस क्षेत्र की आवश्यकता तथा व्यापक जनहित को देखते हुए तथा न्यायायिक सुगमता को देखते हुए भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक खंडपीठ गोरखपुर में स्थापित की जाए।